राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
के
परिनियम

परिभाषायें:-

1. इन परिनियमों में, जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

   (क) 'अधिनियम' से राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 अभिप्रेत है, एवं

   (ख) 'अधिकारियों', 'प्राधिकारियों', 'आचार्यों', (प्रोफेसर) 'सह-आचार्यों' (रीडर) 'सहायक आचार्यों (लैक्चरार), 'लिपिक वर्गीय कर्मचारियों एवं सेवकों से विश्वविद्यालय के क्रमश: 'अधिकारी', 'प्राधिकारी',- 'आचार्य', (प्रोफेसर) 'सह-आचार्य' (रीडर), सहायक आचार्य (लैक्चरार), लिपिक वर्गीय कर्मचारी एवं सेवक अभिप्रेत है।

कार्य परिषद् की बैठकें

2. कार्य परिषद् की बैठक सामान्यतया प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार तथा अन्य समय पर जब कुलपति द्वारा बुलाई जाये, आयोजित की जाएगी। कार्य परिषद् के निर्धारित सदस्यों के 1/3 सदस्य संख्या से गणपूर्ति होगी।

विद्या परिषद् की बैठकें

3. विद्या परिषद् की बैठक वर्ष में एक बार, तथा अन्य समय पर जब कुलपति द्वारा बुलाई जाये, आयोजित की जाएगी। आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

संकायों की बैठकें

4. संकायों की बैठक सामान्यतया वर्ष में एक बार तथा अन्य समय पर जब कुलपति की सहमति से संकाय के अधिष्ठाता या उनकी ओर से कुलसचिव द्वारा बुलाई जाए, आयोजित की जाएगी। आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

उपाधियों एवं उपाख्याओं (डिप्लोमा) का प्रत्याहरण:-

5. कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की संस्तुति पर, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून सहमति से पारित प्रस्ताव द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि, उपाख्या (डिप्लोमा) या किसी अन्य

सम्मान को प्रत्याहृत कर सकेगी। किन्तु उपाधि के प्रत्याहरण के पूर्व उसके कारणों को आवश्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

मानद उपाधियों का प्रत्याहरण:-

6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी मानद उपाधि कार्य परिषद् के उपवेशन में उपस्थित एवं मत देने वाले दो तिहाई सदस्यों के पूर्व अनुमोदन तथा कुलाधिपति की स्वीकृति से प्रत्याहृत की जा सकेगी, किन्तु उपाधि के प्रत्याहरण के पूर्व उसके कारणों को आवश्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के शिक्षक:-

7. विश्वविद्यालय के ऐसे आचार्य पदों, सह आचार्य पदों (रीडरों), सहायक आचार्य पदों (प्राध्यापकों) एवं विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापन पदों का, जिन्हें विद्या परिषद की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए; सृजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्तें परिलब्धियां तथा कर्त्तव्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों का चयन/नियुक्ति:-

8. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों का चयन/नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम (1974 का सं. 18) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगी।

विश्वविद्यालय-निधियां:-

9. विश्वविद्यालय की निधियां कार्य परिषद् द्वारा प्रशासित की जायेंगी। ये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय स्वायत्त शासन या अन्य निकाय के अभिदाय, सहायता या अनुदान से प्राप्त धन या अन्य स्त्रोतों से विश्वविद्यालय को हुई प्राप्तियों से गठित होंगी।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे:-

10. (क) वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र वित्त अधिकारी एवं अन्य कृत्यकारियों के परामर्श से कुलसचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद् को प्रस्तुत किए जायेंगे।

(ख) इनकी किसी एक सनदी लेखाकार द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी।

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन वित्त अधिकारी एवं अन्य कृत्यकारियों से परामर्श कर कुलसचिव द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी के अन्त तक वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद् को प्रस्तुत किए जायेंगे।

वित्त-समिति:-

11. (क) कार्य परिषद् को वित्त के मामलों में सलाह देने के लिए एक वित्त समिति होगी।

(ख) विश्वविद्यालय का एक वित्त अधिकारी होगा, जो विश्वविद्यालय की निधियों के वित्तीय प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(i) कुल पति (अध्यक्ष)

(ii) कार्य परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक वित्तीय मामलों का जानकार होगा।

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले दो से अनधिक विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के ऐसे अध्यक्ष जो ऊपर उपखण्ड (II) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व न किए गये संकायों से सम्बन्धित हों।

(iv) वित्त सचिव, राजस्थान सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो उप-सचिव के पद से नीचे का न हो।

(v) सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो उप-सचिव के पद से नीचे का न हो।

(vi) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी सदस्य-सचिव।

वित्त समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी। तथापि, वित्त समिति के नाम निर्देशित सदस्य नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

(घ) वित्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) वार्षिक बजट अनुमानों की परीक्षा करना तथा उस पर कार्य परिषद् को सलाह देना।

(ii) विश्वविद्यालय के लेखों तथा लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियों तथा उनके उत्तरों की समीक्षा करना, एवं

(iii) विश्वविद्यालय के समस्त वित्त सम्बन्धी मामलों में एवं विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रमों में कार्य परिषद् को सिफारिश करना।

(ङ) कुलपति वेतन भत्ता एवं भविष्य निधि अंशदान (पी.एफ. कन्ट्रीब्यूशन) से सम्बन्धित शीर्षकों को छोड़कर एक बजट शीर्षक से अन्य विभिन्न शीर्षकों में पुनर्विनियोग की स्वीकृति दे सकेगा।

स्वास्थ्य एवं आवास बोर्ड:-

12. विश्वविद्यालय में एक स्वास्थ्य एवं आवास बोर्ड शामिल होगा, जिसका गठन एवं कार्य अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

परीक्षकों का चयनः-

13. (1) किसी परीक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी विषय में परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि उसनेः-

(क) उस परीक्षा के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष उस विषय को नहीं पढ़ाया हो, तथा उस विषय में वह पांच वर्ष के अध्यापन का अनुभव नहीं रखता हो, या

(ख) सम्बन्धित परीक्षा के स्तर का उस विषय में परीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त न कर लिया हो,

परन्तु यह कि- () सम्बन्धित विषय का 3 वर्ष का कुल अध्यापन अनुभव रखने वाले किसी एक आन्तरिक व्यक्ति को सिद्धान्त (थ्योरी) के लिए सह-परीक्षक या अवस्नातक परीक्षा हेतु प्रायोगिक (यदि होई विहित किये गये हों) के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। समस्त पात्र आन्तरिक व्यक्तियों की सूची के समाप्त होने के बाद जब और अधिक परीक्षकों की आवश्यकता हो तथा () जहां प्रायोगिक परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आन्तरिक परीक्षक को कोई पारिश्रमिक संदेय नहीं हो और अपेक्षित न्यूनतम अध्यापन-अनुभव रखने वाला कोई शिक्षक संस्था में उपलब्ध न हो, तो तीन वर्ष से कम के अध्यापन-अनुभव रखने वाला कोई शिक्षक संस्था में उपलब्ध न हो, तो तीन वर्ष से कम के अध्यापन-अनुभव रखने वाले शिक्षक को भी सम्बन्धित प्राचार्य की सिफारिश पर प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए आंतरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

परन्तु उन विषयों में जिनमें उपरिवर्णित अर्हताएं रखने वाले परीक्षक उपलब्ध न हों, तो सम्बन्धित विषय/अनुशासन (डिसिप्लिन) के सुप्रसिद्ध विद्वानों/विशेषज्ञों को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरणः-

विधि द्वारा स्थापित किसी भारतीय विश्वविद्यालय में या विद्या परिषद् की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किसी ऐसी संस्था में अध्यापन या परीक्षकत्व के अनुभव को ही इस उपपरिनियम के प्रयोजन के लिए संगणित किया जाएगा।

(2) (क) प्रत्येक अध्ययनबोर्ड एक नामिका तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगेः-

(i) समस्त अर्हता प्राप्त आन्तरिक परीक्षक, एवं

(ii) उतने बाह्य परीक्षक, जो विश्वविद्यालय की अधिस्नातक परीक्षा सहित समस्त परीक्षाओं के समस्त विषयों के लिए 5 वर्ष की अवधि तक परीक्षायें कराने हेतु आवश्यक हों।

परीक्षक चयन समिति नामिका से परीक्षकों का चक्रानुक्रमशः चयन करेगी तथा नामिका से बाहर के व्यक्ति को तब तक परीक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा- जब तक कि उसमें अन्तर्विष्ट व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो रहा है या वह ड्रेस में इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नियुक्त नहीं किया जा सकता है।